

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बड़जलास-डॉ० अमित यादव, आई. ए. एस.

म्यूटेशन अपील संख्या -342/2022
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर-2022/447

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
प्रकाश दत्तक पुत्र शंकरलाल आयु 13 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम लाडवा तहसील रियां बड़ी जिला नागौर अवयस्क जरिये वाद मित्र राधेश्याम पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी गेमलियावास तहसील रियां बड़ी जिला नागौर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रियां बड़ी जिला नागौर (राज.) 2. गीतादेवी पत्नी स्व. शंकरलाल जाति जाट निवासी ग्राम लाडवा तहसील रियां बड़ी जिला नागौर। 3. शोभा पत्नी देदाराम जाति जाट निवासी धनेरिया लील तहसील रियां बड़ी जिला नागौर 4. कंचन पत्नी रामदेव जाति जाट निवासी धनेरिया लील तहसील रियां बड़ी जिला नागौर

उपस्थिति :-

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री श्रवण बिडियासर।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनियां।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 की ओर से वकील श्री भंवरलाल चौधरी।

:: निर्णय ::

दिनांक :-24.01.2024

अपीलांट ने धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत ग्राम डूकिया का म्यूटेशन संख्या 559 जो तहसीलदार, रियांबड़ी द्वारा दिनांक 30.05.2017 को स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 20.10.2022 को प्रस्तुत की है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है। मयाद प्रार्थना पत्र पर वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि आदेश जेर अपील दिनांक 30.05.2017 अपीलांट को बिना सूचित किये बिना सुनवाई का अवसर दिये, बाले बाले ही रेस्पोडेन्ट गीतादेवी ने अपने हक में दर्ज करवाया था, जिसकी कोई जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी। अपीलांट ने दिनांक 06.01.2022 को जानकारी होने पर बेचाननामा दिनांक 09.01.2022 की नकले प्राप्त करने के बाद अपीलांट ने उक्त आदेश की जानकारी नकल दिनांक 04.08.2022 को लेने पर हुई थी, चूंकि अपीलांट प्रकाश अवयस्क है और वह अपने हित व अधिकार को लेकर वाद, अपील आदि पेश करने में असक्षम हैं, इसलिए पूर्व में उसके द्वारा उपरोक्त कारणोंवश अपील पेश नहीं हो सकी। अपीलांट अवयस्क होने से अब अपने वाद मित्र के जरिये उक्त म्यूटेशन आदेश को अपील में चुनौती दे रहा है, जो नकल प्राप्ति की दिनांक 04.08.2022 के बाद अपील प्रस्तुत की गई है। अवयस्क के हितों को देखते हुए उक्त अवैधानिक म्यूटेशन के संबंध में प्रस्तुत अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन करते हुए अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलांट की जानकारी से अंदर मियाद शुमार किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।



विद्वान वकील रेस्पोंडेंस संख्या 2 से 4 ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने श्रीमान् जिला न्यायाधीश मेड़ता के सम्मुख वाद संख्या-9/2022 बाबत स्व० शंकरलाल का गोद पुत्र होने की घोषणा के संबंध में पेश किया था। उक्त वाद पत्र के पैरा संख्या-14 में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि उक्त नामान्तरकरण और विक्रय की जानकारी उसे दिनांक 07.01.2022 को हो गई थी व इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलान्ट ने न्यायालय सहायक कलक्टर, रियांबड़ी में प्रकरण संख्या - 21/2022 घोषणा खातेदारी का वाद दिनांक 18.01.2022 को पेश किया है। तब अपीलान्ट ने उक्त वाद के साथ वादग्रस्त भूमि की खतौनी की नकले पेश की थी तथा उक्त वादपत्र के पैरा संख्या-14 में भी म्यूटेशन जैर अपील व विक्रय की जानकारी 06.01.2022 व 07.01.2022 को होने का उल्लेख किया है। इसलिए अपीलान्ट का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि उसे जानकारी दिनांक 04.08.2022 को हुई हो। अपीलान्ट को अपील पेश करने में हुई देरी के प्रत्येक दिवस के कारणों को अपील प्रार्थना-पत्र में दर्शाना होगा परन्तु अपीलान्ट ने ऐसे कोई कारण पेश नहीं किये हैं, इसलिए इस प्रकार अधिविलम्ब को कन्डोन नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलान्ट की अपील स्पष्ट रूप से मयाद बाहर होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर हैं तथा अपील को मयाद में लेने के कोई पर्याप्त कारण नहीं दर्शाये, इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

वकुलाय की बहस पर मनन किया एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। चूंकि अपील नाबालिग के हितों के मध्यनजर रखते हुवे प्रस्तुत हुई हैं, इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना उचित है। अतः न्याय हित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

मूल अपील पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि अपीलान्ट प्रकाश अवयस्क है। अपीलान्ट के दादा बालूरामजी थे बालूरामजी के दो पुत्रियां सुगनाई व सुप्यारी है और एक पुत्र शंकरलालजी थे। बालूरामजी का देहान्त दिनांक 22.08.2008 को हो गया। बालूरामजी के जीवनकाल में बालूरामजी का इकलौता पुत्र शंकरलाल व पुत्री सुगनाई के कोई संतान नहीं हुई थी। अपीलान्ट के नैसर्गिक पिता राधेश्याम व माता सुप्यारी के संसर्ग से अपीलान्ट का जन्म हुआ। शंकरलालजी के कोई संतान नहीं होने से उन्होंने अपीलान्ट को गोद पुत्र के रूप में लेने के लिए अपीलान्ट के माता पिता के सम्मुख प्रस्ताव रखा। जिस पर उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा कार्तिक सुदी 1 संवत् 2071 दिनांक 24.10.2014 यानि दीपावली के रामा स्यामा के शुभ दिन गांव और समाज के लोगों की उपस्थिति में अपीलान्ट को शंकरलाल जी व रेस्पोंडेंट गीता देवी की गोद में बिठाया तथा शंकरलालजी व गीतादेवी ने अपीलान्ट को गोद पुत्र के रूप में स्वीकार किया तथा साफा बंधवाकर तिलक लगाया और गोद देने व लेने की रस्म रीति रिवाज प्रथा अनुसार सम्पन्न हुई। इस शुभ अवसर पर मंगल गीत गाये गये और गुड़ बांटा गया। इस तिथि से अपीलान्ट शंकरलालजी व रेस्पोंडेंट गीतादेवी का दत्तक पुत्र हो गया। जिसके बाद से अपीलान्ट अपने दत्तक पिता शंकरलालजी व माता गीतादेवी के पास ही पुत्र के रूप में रहना शुरू कर दिया और उन्होंने ही अपीलान्ट का लालन पालन किया। जिसके बाद अपीलान्ट के पिता शंकरलालजी का वर्ष 2016 में देहान्त हो गया। जिसके बाद अपीलान्ट रेस्पोंडेंट गीतादेवी के पास ही रह रहा है।

शंकरलालजी के देहान्त के बाद रेस्पोंडेंट के भानजे जस्साराम ने रेस्पोंडेंट संख्या एक गीता पर अपना प्रभाव दिखाकर अपीलान्ट के पिता की खातेदारी की भूमि व अन्य अचल सम्पत्तियों से अपीलान्ट का नाम हटवाकर उसको उसके हक हिस्से अधिकारों से वंचित करने के लिए योजना बनायी जाने लगी जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं हो सकी क्योंकि अपीलान्ट आज भी अवयस्क है और अपने



कलक्टर नागौर

हितों के लिए सोचने समझने में असमर्थ है। अपीलांट के मासूम बालक और अवयस्क होने का नाजायज फायदा उठाकर रेसपोडेंट गीता देवी ने तहसीलदार कार्यालय रियांबडी के समक्ष गलत तथ्य प्रकट करते हुए और अपीलांट का शंकरलालजी का पुत्र होने के तथ्यों को छिपाते हुए ग्राम भंवाल में स्थित खेत खसरा संख्या 320 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा संख्या 321 रकबा 3.9700 हैं, खसरा संख्या 322 रकबा 0.0800 हैक्टेयर में अपीलांट के हक हिस्से और खातेदारी की भूमि से अपीलांट को वंचित करने की नीयत से गलत व अवैध प्रकार से म्यूटेशन संख्या 559 दिनांक 30.05.2017 को रेसपोडेंट संख्या एक गीता देवी ने अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि शंकरलालजी के देहान्त के बाद उनकी खातेदारी की भूमि में उनके स्थान पर उनके प्रथम श्रेणी के वारिस उनके पुत्र अपीलांट व पत्नी रेसपोडेंट गीता दोनों का नाम दर्ज होना चाहिये परन्तु रेसपोडेंट गीता ने अपीलांट के बालक होने का फायदा उठाकर उपरोक्त भूमि का म्यूटेशन जैर अपील के जरिये भूमि की सम्पूर्ण खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली और उसकी जानकारी अपीलांट व अन्य लोगों को नहीं होने दी।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रियांबडी के द्वारा आलौच्य म्यूटेशन आदेश स्वीकृत करते समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम व अन्य कानून के प्रावधानों को नजरअंदाज किया है। क्योंकि तहसीलदार, रियांबडी के द्वारा आलौच्य आदेश स्वीकृत करने से पूर्व खातेदार शंकरलालजी के देहान्त होने के बाद उनके विधिक वारिसान के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की तथा पटवारी ने भी इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्तियों, परिवारजनों रिश्तेदारों व पड़ोसियों से कोई पुछताछ तक नहीं की और केवल रेसपोडेंट गीता देवी के कहने मात्र से पूरी भूमि की खातेदारी के लिए म्यूटेशन उसके अकेले के नाम स्वीकृत करके अपीलांट को उसके हक हिस्से की खातेदारी अधिकारों से वंचित कर दिया है। तथा तहसीलदार, रियांबडी द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133 के प्रावधानों लागू नहीं किया है।

रेसपोडेंट को इस बात की भली भांति जानकारी रही है कि मौके पर विवादित भूमि पर कब्जा बतौर विधिक उत्तराधिकारी व खातेदार के अपीलांट का ही है फिर भी अपीलांट को मौके पर से बेदखल करने की नीयत से अपने अकेले के नाम से बाले बाले गलत व अवैध प्रकार से म्यूटेशन आदेश जैर अपील स्वीकृत करवाकर कागजी बेचान रेसपोडेंट कंचन व शोभा के नाम किया है जबकि मौके पर कंचन व शोभा के पास विवादित भूमि का कब्जा नहीं है, क्योंकि मौके पर 1/2 हिस्से की भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है, और मौके पर रेसपोडेंट गीतादेवी ने रेसपोडेंट कंचन व शोभा को भौतिक कब्जा कभी भी सुपूर्द नहीं किया है। उपरोक्त विक्रय विलेख केवलमात्र कागजी बेचान हैं, जिनका मकसद केवलमात्र अवयस्क अपीलांट के हितों के विपरीत जाकर कृत्य करके अपीलांट को क्षति कारित करना है। मौके पर अपीलांट का शांतिपूर्वक व निर्बाध कब्जा 1/2 हिस्से पर चला आ रहा है। जिससे भी स्पष्ट है कि उपरोक्त म्यूटेशन आदेश जैर अपील खारिज होने योग्य है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह तर्क है कि अपीलांट के आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं भामाशाह कार्ड में अपीलांट के पिता के नाम में शंकरराम अंकित हैं, जो गीता देवी एवं उनके पति द्वारा ही दर्ज करवाये गये हैं, इसलिए इन दस्तावेजों को नहीं मानने का कोई आधार नहीं है। अतः अपीलांट गीतादेवी का गोद पुत्र साबित है।

रेसपोडेंट गीतादेवी अपने दत्तक अवयस्क पुत्र के हितों व कल्याण के प्रति कभी भी चिन्तित नहीं रही है और अवयस्क के हितों व अधिकारों को समाप्त करने और उसको बेदखल करने के लिए प्रयासरत रही है। रेसपोडेंट गीतादेवी के कृत्य अवयस्क अपीलांट के हितों के विपरीत ही रहे हैं और अपीलांट को हर प्रकार से नुकसान कारित करने और उसको उसके सम्पत्ति के अधिकारों से वंचित करने के लिए उपरोक्त प्रकार से गलत व अवैध म्यूटेशन अपने अकेले के नाम दर्ज करवाकर भूमि को आगे कागजी बेचान किया है, जिससे रेसपोडेंट का हित अपीलांट का हितों के विपरीत होने से यह



अपील अपीलांट के न्याय मित्र के जरिये प्रस्तुत की जाने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ तहसीलदार रियां बडी जिला नागौर, द्वारा स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 559 दिनांक 30.05.2017 जेर अपील खारिज करने एवं अन्य अनुतोष जो भी लाभार्थ अपीलांटस हो दिलाया जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया ।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133 एवं नामान्तरण खोलने के सम्बन्ध में राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश क्रमांक/राम/भू.अ./जी-3/विविध/1-241 दिनांक 02.01.2006 की प्रति पेश की हैं।

विद्वान वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 4 का दौराने बहस तर्क हैं कि ग्राम भंवाल की आराजी खसरा नम्बर 320, खसरा नम्बर 321 व खसरा नम्बर 322 की खातेदारी शंकरराम पुत्र बालूराम के नाम दर्ज थी। खातेदार शंकरराम फौत हो जाने पर उनके विधिक एक मात्र उत्तराधिकारी उनकी पत्नी गीतादेवी थी। इसलिए पटवारी हल्का द्वारा उनका फौतेदगी नामान्तरकरण गीतादेवी के नाम दर्ज कर वास्ते जांच एवं स्वीकृति हेतु पेश किया तथा तहसीलदार, रियांबडी ने इस नामान्तरकरण को स्वीकृत किया हैं, जो बाद जांच विधिवत स्वीकृत किया गया हैं। अपीलांट स्व0 शंकरराम का गोद पुत्र बनकर आया है परन्तु अपीलांट को न तो शंकरराम ने अपने जीवनकाल में गोद लिया है एवं न उनकी पत्नी द्वारा उसे गोद पुत्र कभी स्वीकार किया है। जब अपीलांट उनका गोद पुत्र हैं ही नहीं तथा न ही उनके पक्ष में कोई रजिस्टर्ड गोदनामा है एवं न ही न्यायालय द्वारा गोद पुत्र घोषित हैं, इसलिए शंकरराम की प्रापर्टी में उसका कोई हितनिहत हैं। इसलिए तहसीलदार जी ने जो नामान्तरकरण स्वीकार किया है वह सही स्वीकार किया है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

विद्वान वकील रेस्पोंडेन्ट का यह भी कथन है कि खातेदार गीता देवी द्वारा अपनी इस भूमि का विक्रय पत्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 व 4 के पक्ष में निष्पादित कर दिया तथा विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान खातेदारी रेस्पोंडेन्ट के नाम से दर्ज हो चुकी हैं, इसलिए जब इन विक्रय पत्रों को सम्क्ष न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं करवा लिया जाता तब तक इस अपील के माध्यम से विक्रय पत्र को चुनौती नहीं दी जा सकती हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य हैं।

विद्वान वकील रेस्पोंडेन्ट का यह भी कथन रहा कि जहां तक गोद पुत्र घोषित होने का प्रश्न है अपीलांट इस बाबत सक्षम न्यायालय में नियमानुसार अनुतोष प्राप्त कर सकता हैं। वर्तमान में नामान्तरकरण सम्बन्धी समरी कार्यवाही के माध्यम से अपीलांट उक्तानुसार कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

विद्वान वकील रेस्पोंडेन्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में RRT 2014-15(Supp.) पेज 467, RRT 2012(1) पेज 374 की नजीरे पेश कर यह निवेदन किया कि उक्त नजीरे इस प्रकरण पर चस्पा होती हैं, इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें।

विद्वान वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं उनके द्वारा पेश किये माननीय न्यायालय के दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन करने से यह स्थिति स्पष्ट होती हैं कि खातेदार शंकरराम फौत होने पर पटवारी हल्का, भंवाल द्वारा ग्राम भंवाल की आराजी खसरा नम्बर 320, खसरा नम्बर 321 एवं खसरा नम्बर 322 के सम्बन्ध में विरासत नामान्तरकरण संख्या 559 दर्ज कर यह रिपोर्ट अंकित की हैं कि खातेदार शंकरराम पुत्र बालूराम का निधन होने पर उसके स्थान पर उसके वारिसान के नाम, जो कॉलम संख्या 9 के अनुसार है, के नाम नामान्तरकरण भरकर वास्ते जांच व उचित आदेशार्थ पेश हैं। कॉलम संख्या 9 में गीतादेवी पत्नी स्व0 शंकरलाल कौम जाट सा0 लाडवा खातेदार दर्ज किया है। भू0अभिलेख निरीक्षक, बड़ावली ने दिनांक 29.05.17 को अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि मजमे आम जांच की इन्द्राज सही हैं। तहसीलदार, रियांबडी द्वारा दिनांक 30.05.2017 को स्वीकार का आदेश पारित किया है। उक्त नामान्तरकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार-2016 में स्वीकार किया गया है, जो मजमें



आम में स्वीकार किया गया है। उक्त रेकार्ड के अवलोकन से यह प्रकट है कि खातेदार शंकरराम फौत होने पर उनके विधिक उत्तराधिकारी के नाम यह नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। इस प्रकरण में विद्वान वकील अपीलांट का यह तर्क है कि अपीलांट स्व० शंकरराम का गोद पुत्र होने से इस नामान्तरकरण में अपीलांट का नाम भी दर्ज होना चाहिए। परन्तु अपीलांट द्वारा पत्रावली में स्व० शंकरराम का विधिक गोद पुत्र अपीलांट होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। इस प्रकार जब अपीलांट स्व० शंकरराम का गोद पुत्र होना साबित ही नहीं था तो फिर उसका नाम इस नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया जा सकता है। जहां तक पूर्ण जांच का प्रश्न है यह नामान्तरकरण शिविर मजमे आम में भरा जाकर स्वीकृत किया गया है, इसलिए इस प्रकार के प्रकरण में ओर कोई अन्य जांच बकाया नहीं रहती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस नामान्तरकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रियांबड़ी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 559 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2017 यथावत् रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. अमित यादव)
जिला कलकटर
नागौर